

## नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कथि लोकार्पण चर्चा में क्यौं?

15 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सहि ने रजिस्ट्रेशन के लयि ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण कयि ।

### प्रमुख बदि

- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉलोनाइजर अब एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे । कॉलोनाइजर को अलग-अलग नगरीय नकियौं में रजिस्ट्रेशन कराने से नजिात मलिंगी । साथ ही 30 दिन की समय-सीमा में संबधति प्रमाण-पत्र जारी कयि जाएँगे ।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेज़ी आएगी । उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान कयि हैं ।
- आवेदन की सुवधि ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अरबन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी । इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरति प्रमाण-पत्र, SMS एवं वाट्सएप के ज़रयि आवेदक को सूचना, वाट्सएप के ज़रयि सर्टफिकेट प्रदान कयि जाने की सुवधि और संचालनालय के लयि मॉनीटरगि के उद्देश्य से वभिन्न रिपोर्ट्स की सुवधि रहेगी ।
- कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन कयि जाएँगे, जो सभी नगर नकियौं के लयि मान्य होंगे ।